निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 2022/25 दायर दिनांक– 24.03.22

उनवान

1.सेवालाल पिता स्व. नाथु,

2.विकास पिता स्व नाथु

3.निलेश पिता स्व. नाथु

4.कमली पत्नी स्व. नाथु

समस्त जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान। **(वादीगण)**

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा

2.तहसीलदार, तहसील व जिला बांसवाडा **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थिति

राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

–:निर्णय:– दिनांकः– 15.02.23

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलवासा पटवार हल्का पाडीकला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 557 नया 213 पुराना के खसरा नंबर 138/1 रकबा 0.1618 है0 के खसरा 551/134 रकबा 0.1618 है0 तथा खसरा नंबर 1563/629 रकबा 0.0971 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4207 है0 वादीगण के संयुक्त खातेदार एवं कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरण संख्या 1744 दिनांक 22.11.21 विरासतन नाथु पुत्र मावजी के फौत होने से दर्ज रिकॉर्ड हुई

1 माह पूर्व खसरा नंबर 138/1 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण कर लिया है बाद समझाईश भी वह नहीं मान रहा है इस संबंध में वादीगण के काका व देवर ने जिला पुलिस अधिक्षक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण के पास प्रश्नगत आराजियात के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण वादीगण को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जब रन किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा वादीगण को सुपुर्द नहीं किया गया जो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर 138/1 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से किये अवैध कब्जे को उसके स्वयं के खर्चे से हटवाकर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण की उक्त खातेदार की प्रश्नगत आराजियात पर बाधा उत्पन्न न करे जबरन प्रवेश न करे एवं किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे तथा न ही किसी अन्य से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वाद हेतुक प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध 1 पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पर नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य वादी के रूप में शपथ–पत्र सेवालाल पिता स्वर्गीय श्री नाथु जाति भील ग्राम मलवासा के विकास पिता स्वर्गीय श्री नाथु जाति भील ग्राम मलवासा कमली बेवा पत्नी स्वर्गीय श्री नाथु ग्राम मलवासा तथा निलेश पिता ग्राम मलवासा जो प्रस्तुत किये उक्त साक्ष्य वादियों में से मात्र सेवालाल ने शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

2074–77 तथा प्रदर्श–2 नक्शा जो कि प्रमाणित नहीं है अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानात् में स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये पत्रावली पर बहस एक पक्षीय अधिवक्ता वादी सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने किया की वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजियात हमारी खातेदारी की होकर काबिज काश्त है। अतः अनुतोष के अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री फरमावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा वादी अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया।

वादपत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित संयुक्त में से खसरा नम्बर 138/1 के संबंध में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण करने का अभिकथन किया है। इसी प्रकार पैरा संख्या 3 में भी अंकित किया। पैरा संख्या 4 में अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा वादीगण के सुपुर्द करने का कथन किया। वादीगण ने अनुतोष के पैरा में प्रश्नगत खसरा 138/1 रकबा 0.1618 है0 पर प्रतिवादी संख्या के द्वारा अवैध कब्जा करना तथा उस कब्जे को प्रतिवादी संख्या के स्वयं के खर्चे से ही हटवाई जाने तथा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा वादीगण को दिलाई जाने का अभिकथन किया है।

इस प्रकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों PW-1 सेवालाल, PW-2 विकास, PW-3 निलेश तथा PW-4 कमली सभी ने अपने–अपने शपथ–पत्रों में सशपथ प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कब्जा कर लेना तथा उस कब्जे को हटवाकर कब्जा दिलवाने का अभिकथन किया है

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा में स्पष्ट प्रावधान है कि एक खातेदार काश्तकार जिसका उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा होना चाहिए प्रश्नगत भूमि पर कब्जा किसी अन्य का होने से वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम में पोषणीय नहीं है। यदि वादीगण उनके द्वारा की गई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुतोष कब्जा प्राप्त कर सकता है।

चूंकि धारा 188 में कब्जा हटवा कब्जा दिलवाने का प्रावधान नहीं है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 2022/25

उनवान

1.सेवालाल पिता स्व. नाथु,
2.विकास पिता स्व नाथु
3.निलेश पिता स्व. नाथु
4.कमली पत्नी स्व. नाथु
समस्त जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा
2.तहसीलदार ,तहसील व जिला बांसवाडा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

—:निर्णय:—

दिनांक:— 15.02.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

मोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.02.23 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकामं

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी** बांसवाड़ा   मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी   प्रतिवादी

सेवालाल .... बनाम .... शान्ति

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) ....188, 209 RTA....   प्रकरण संख्या– ....2022/25/20....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-2022	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश ... । वादी श्री ....सेवालाल.... पिता ....स्व. नाथु.... जाति ....भील.... निवासी ....ग्राम मलवाना तहसील व जिला बांसवाड़ा.... द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा ....188, 209 RTA.... विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री ....शान्ति.... पिता ....रूपसिंह.... ...जाति ....भील.... निवासी ....पिपलोद.... ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक ....21-4-2022.... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
21-4-2022	पत्रावली पेश। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रति संख्या 1 ने सम्मन लेने से इन्कार किया। प्रति.न.2 के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। सम्मनों को शामिल मिसल किया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29-4-2022 को पेश हो। [signature]	
29-4-22	पत्रावली पेश। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। श्रीमान पी ओ साहब का स्थानान्तरण हो चुका है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब दिनांक 27-5-2022 को पेश हो। [signature]	
24-5-2022	पत्रावली पेश। वादीगण अधि. उप.। प्रति.न. 1 द्वारा सम्मन लेने से इन्कार होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 27-5-2022 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/11/2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित पुनः बहस हेतु पत्रावली दिनांक 14-11-2022 को पेश हो।	
14/11/2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 30-11-2022 को पेश हो।	
30/11/2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 14-12-2022 को पेश हो।	
14-12-2022	पत्रावली पेश की वादी वकील अनुपस्थित साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11-1-2023 को पेश हो।	
11-1-2023	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित, पत्रावली साक्ष्य वादी बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15-2-2023 को पेश हो।	
15-2-2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित आये। पत्रावली पर पुनः बहस नहीं करना चाहते L.B.S.H. [illegible] की भांति पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन का अध्ययन किया तथा गुणावगुण पर किया [illegible] वादी ने वादपत्र की चरण सं. 2, 3, 4, 5 तथा अनुतोष पैरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... अहकाम जो ... हुक्म की तामी... में जारी हु...
	मे प्रश्नगत आराजी ख.नं. 138/1 के संबंध में प्र.वादी सं.-1 द्वारा कब्जा करना तथा उसके बेदखल (कब्जा दिलाने) का अभिकथन किया है। वा स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। उक्त [illegible] हटवाने व कब्जा दिलवाने की प्रार्थना अन्तर्गत धारा-188 RTA में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली बाद तामील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिख कर खुले इजलास में सुनाया गया। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Regar
Date: 2023.02.22 13:42:25
Reason: SelfAttested